



# गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009के तहत स्थापित)

## CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. संजय कुमार झा  
वित्त अधिकारी(कार्यवाहक)

**Prof. Sanjay Kumar Jha**  
**Finance Officer (Offg.)**

ई-मेल/हाथ द्वारा By e-mail/By Hand

F&A/

दिनांक Dated:

सेवा में,

To,

-----  
-----  
-----

**विषय:.....के लिए अस्थायी अग्रिम की मंजूरी के संदर्भ में।**

**SUBJECT: Sanction of temporary advance for the purpose ..... reg.**

**संदर्भ Ref.:1. दिनांक \_\_\_\_\_ का आवेदन।**

**Application Dated ( \_\_\_ / \_\_\_ /20\_\_\_ )**

**2. दिनांक \_\_\_\_\_ को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित।**

**Approved by the Competent Authority on ( \_\_\_ / \_\_\_ /20\_\_\_ )**

महोदय/महोदया,

Sir/Madam,

कृपया उपरोक्त संदर्भ संख्या 1 पर वर्णित दिनांक \_\_\_\_\_ के अपने आवेदन का संदर्भ लें। यह आवेदन उपरोक्त 'विषय' में उल्लिखित उद्देश्य हेतु \_\_\_\_\_ रुपये की अस्थायी अग्रिम राशि निकालने के लिए था।

Please refer your application dated at **Ref. (1)** above for drawing of temporary advance amounting to Rs...../- for the purpose mentioned in the 'SUBJECT'.

इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीएफआर 2017 के अनुसार \_\_\_\_\_ रुपये ( \_\_\_\_\_ रुपये मात्र )की राशि की मंजूरी दी गई है। यह राशि दिनांक \_\_\_\_\_ के चेक संख्या \_\_\_\_\_ के माध्यम से केनरा बैंक में आपके खाता संख्या \_\_\_\_\_ में हस्तांतरित कर दी गई है।

In this regard approval has been accorded for an amount of Rs...../- (Rupees..... only) by the Competent Authority in accordance with the GFR 2017. The same amount has been transferred to your Canara Bank Account No. \_\_\_\_\_ vide Cheque No..... dated.....



# गुजरात केन्द्रीय विश्वविद्यालय

(भारत की संसद के अधिनियम सं. 25, 2009के तहत स्थापित)

## CENTRAL UNIVERSITY OF GUJARAT

(Established by an Act of Parliament of India, No 25 of 2009)

प्रो. संजय कुमार झा  
वित्त अधिकारी(कार्यवाहक)

**Prof. Sanjay Kumar Jha**  
**Finance Officer (Offg.)**

ई-मेल/हाथ द्वारा By e-mail/By Hand

कृपया ध्यान दें: समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के नियमों/विश्वविद्यालय दिशानिर्देशों और जीएफआर-2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय उसी 'विषय' के लिए किया जाना है जिसके लिए अग्रिम लिया गया है। आगे यह भी सूचित किया जाता है कि जीएफआर 2017 के नियम 323(2) के अनुसार, “शेष राशि (यदि कोई हो) के साथ समायोजन बिल, अग्रिम निकासी के 15 दिनों के भीतर सरकारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत किया जाए। ऐसा न करने पर अग्रिम या शेष राशि उसके अगले वेतन(नों) से वसूली जाएगी।”

Kindly note: **Expenditure is to be incurred for the same ‘subject’ for which the advance has been drawn**, strictly as per the Government of India Rules / University guidelines amended from time to time and procedure laid down in GFR-2017. **It is further intimated that as per the Rule 323(2) of GFR 2017, “the adjustment bill, along with the balance (if any), shall be submitted by the Government servant within 15 days of the drawl of advance, failing which the advance or balance shall be recovered from his/her next salary (ies).”**

सधन्यवाद!

Thanking you,

सादर,

With regards,

वित्त अधिकारी  
**Finance Officer**